

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—02/2022 (2022/10) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. चम्पालाल पिता नंगजी बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भैरूलाल पिता नंगजी बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लाली पत्नि नंगजी बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. उदा पिता नन्दा बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. खेमा पिता मोती बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोपी पिता मोती बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भंवर पिता मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. उदा पिता मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भैरा पिता कालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भंगवान पिता मांगु बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. बस्तीराम पिता कस्तुर कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. गणेश पिता कस्तुर कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. बालुराम पिता मियाराम कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. लादु पिता नेनु बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. गिरधारी पिता नेनु बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. सुखा पिता हजारी बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 15.02.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 429 में अकिंत आराजी संख्या 1229 रकबा 0.43 है0 तथा प्रार्थी संख्या 3 से 4 के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 44 में अकिंत आराजी संख्या आराजी संख्या 886 रकबा 0.87 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.30 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों ओर सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना



रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 26.08.2021 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 03.01.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 व 7 लगायत 12 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई एवं विपक्षी संख्या 6 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 429 में अकिंत आराजी संख्या 1229 रकबा 0.43 है0 तथा प्रार्थी संख्या 3 से 4 के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 44 में अकिंत आराजी संख्या आराजी संख्या 886 रकबा 0.87 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.30 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Suns
15-2-2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-2/2022 (2022/10) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. चम्पालाल पिता नंगजी बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भैरूलाल पिता नंगजी बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लाली पत्नि नंगजी बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. उदा पिता नन्दा बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. खेमा पिता मोती बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोपी पिता मोती बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भंवर पिता मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. उदा पिता मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भैरा पिता कालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भंगवान पिता मांगु बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. बस्तीराम पिता कस्तुर कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. गणेश पिता कस्तुर कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. बालुराम पिता मियाराम कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. लादु पिता नेनु बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. गिरधारी पिता नेनु बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. सुखा पिता हजारी बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 15.02.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 429 में अकिंत आराजी संख्या 1229 रकबा 0.43 है0 तथा प्रार्थी संख्या 3 से 4 के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 44 में अकिंत आराजी संख्या आराजी संख्या 886 रकबा 0.87 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.30 है0 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 15.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।



15-2-22

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

सहायक उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा